

क्रमांक- 22 /दो-11-18/2022

दमोह, दिनांक 16 मई, 2025

ग्रीष्मकालीन अवकाश 2025 (दिनांक 19.05.2025 से 13.06.2025 तक) जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में न्यायालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी निम्नानुसार विभिन्न अनुभागों में लगाई जाती है:-

1. माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय दमोह एवं सभी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दमोह के न्यायालय के प्रस्तुतकार जिनके प्रभार में सिविल प्रकरण हैं, की संबंधित न्यायालय में पूर्वान्ह 10:30 से 11:00 बजे एवं अपरान्ह 5:00 से 5:30 बजे तक अपने पद का अत्यावश्यक कार्य करने के अलावा उनके न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को छोड़कर शेष अवधि में जिला **अभिलेखागार दमोह** में 11:00 बजे से 5:00 बजे तक सिविल प्रकरणों के नियमानुसार समयबद्ध विनिष्ठीकरण का कार्य संपादित करने हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।
2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खंड दमोह के न्यायालय के प्रस्तुतकार जिनके प्रभार में सिविल प्रकरण हैं, की संबंधित न्यायालय में पूर्वान्ह 10:30 से 11:00 बजे एवं अपरान्ह 5:00 से 5:30 बजे तक अपने पद का अत्यावश्यक कार्य करने के अलावा उनके न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को छोड़कर शेष अवधि में जिला **अभिलेखागार दमोह** में 11:00 बजे से 5:00 बजे तक आपराधिक प्रकरणों के नियमानुसार समयबद्ध विनिष्ठीकरण का कार्य संपादित करने हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।
3. संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में होने पर समस्त न्यायालय दमोह के निज सहायक/स्टेनोग्राफर/स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो/स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन/स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन (कोर्ट मैनेजर स्टाफ), **ग्रन्थालय अनुभाग एवं प्रपत्रागार दमोह** में पुस्तकों की कम्प्यूटर से अल्फाबेटिकल क्रम में सूची बनाकर भौतिक सत्यापन कार्य में प्रत्येक दिवस पूर्वान्ह में तथा अपरान्ह में **मालखाना अनुभाग दमोह** में उपस्थित होकर सीनियर नायब नाजिर के निर्देशानुसार मालखाना सॉफ्टवेयर अंतर्गत मुद्देमालों की सूची तैयार करने अथवा मालखाने में संचित दुपहिया वाहन/साईकिलों की सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर से वर्तमान न्यायालय ज्ञात कर सूची तैयार करने/सत्यापन कार्य हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।
4. संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में होने पर समस्त न्यायालय दमोह के आसंजित लिपिकों की ड्यूटी प्रतिलिपि अनुभाग दमोह में प्रधान प्रतिलिपिकार दमोह के निर्देशन में प्रतिलिपि तैयार करने हेतु लगाई जाती है।
5. मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में होने पर समस्त न्यायालय दमोह के साक्ष्य लेखक की **लेखा शाखा दमोह** में सेवा पुस्तिकाओं में वार्षिक भौतिक सत्यापन में लेखापाल के सहयोग हेतु, जी.पी.एफ./डी.पी.एफ./सी.पी.एफ. पासबुक की प्रविष्टियों में आसंजित लिपिक (जी.पी.एफ./डी.पी.एफ./सी.पी.एफ.) के सहयोग तथा लंबित अवशेष देयक तैयार करने के कार्य में वेतन/एरियर्स लिपिक के सहयोग हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।
6. तहसील हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा स्थित सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में होने पर न्यायालय के स्टेनोग्राफर/स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो/स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन/साक्ष्य लेखक पूर्वान्ह में अपने न्यायालय की विधि पुस्तकों का भौतिक सत्यापन, मासिक विधि पत्रिकाओं को सेट अनुसार संकलित करने, समस्त पुस्तकों एवं न्यायालय में मौजूद फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरणों की पृथक-पृथक सूची तैयार करेंगे, तथा अपरान्ह में **नजारत अनुभाग हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा** में नायब नाजिर के प्रभार में मौजूद केन्द्रीय पुस्तकालय की विधि पुस्तकों का विधिवत भौतिक सत्यापनार्थ सूची व फर्नीचर/कार्यालयीन उपकरणों की सूची भौतिक सत्यापन हेतु तैयार करने हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।
7. तहसील हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा स्थित सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश में होने पर न्यायालय के आसंजित लिपिकों की ड्यूटी प्रतिलिपि अनुभाग

हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा में प्रतिलिपिकार के निर्देशन में प्रतिलिपि तैयार करने हेतु लगाई जाती है।

8. तहसील हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा स्थित सिविल न्यायालयों के प्रस्तुतकार जिनके प्रभार में सिविल प्रकरण हैं, की संबंधित न्यायालय में पूर्वान्ह 10:30 से 11:00 बजे एवं अपरान्ह 5:00 से 5:30 बजे तक अपने पद का अत्यावश्यक कार्य करने के अलावा उनके न्यायालय में प्रवर्तन लिपिक के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को छोड़कर शेष अवधि में, **मालखाना अनुभाग हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा** में प्राप्त निराकृत आपराधिक प्रकरणों के प्रापटी पर्चों से संबंधित संपत्तियों के निराकरण/सत्यापन कार्य हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।

9. तहसील हटा में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में न्यायालय के **साक्ष्य लेखकों की ड्यूटी अभिलेखागार अनुभाग हटा** में **अभिलेखपाल** के निर्देशन में आपराधिक प्रकरणों के नियमानुसार समयबद्ध विनिष्टीकरण का कार्य संपादित करने हेतु ड्यूटी लगाई जाती है।

10. न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में उनके कोर्ट प्यून की ड्यूटी न्यायालय तथा संबद्ध विश्राम कक्ष की सफाई सुनिश्चित करने में लगायी जाती है।

11. ग्रीष्मकालीन अवकाश 2025 अंतर्गत विभिन्न अनुभागों में ड्यूटी पर लगाये गये कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य के विवरण सहित सायंकाल 05:00 बजे प्रधान अभिलेखापाल, ग्रंथपाल, प्रधान प्रतिलिपिकार/प्रतिलिपिकार, सीनियर नायब नाजिर, जिला नाजिर, लेखापाल, वेतन/ऐरियर्स/आसंजित लिपिक (जी.पी.एफ./डी.पी.एफ./सी.पी.एफ.) नोटशीट उप प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

12. जिला मुख्यालय/तहसील सिविल न्यायालयों के समस्त अनुभाग के प्रभारी अधिकारियों द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश 2025 की समाप्ति पर ग्रीष्मकाल में संपन्न कराये गये कार्यों का प्रतिवेदन जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक **1802**/ दो-11-18/2022
आदेशानुसार प्रतिलिपि :-

दमोह, दिनांक **16** मई, 2025

- 1- पीठासीन अधिकारी समस्त न्यायालय
दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग
दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- निज सहायक, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश दमोह की ओर माननीय महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने बावत्।
- 4- समस्त कर्मचारीगण दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16.05.25
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)